न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1 / 2019 (राजसमन्द आर्डर)

1. मोहनलाल पिता स्वर्गीय पृथ्वीराज जी सेवक, निवासी आकोदड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती सुन्दर बेवा स्वर्गीय पृथ्वीराज जी सेवक, निवासी आकोदड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. भूरालाल पिता स्वर्गीय रूपा जी सेवक, निवासी आकोदड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. बाबूलाल पिता स्वर्गीय रूपा जी सेवक, निवासी आकोदड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती बसन्ती देवी बेवा स्वर्गीय रूपा जी सेवक, निवासी आकोदड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. उप पंजीयक, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 05.02.2018, प्र॰सं॰ 557 / 17

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री कोमल पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5

———::———

निर्णय **दिनांक 27–06–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2

सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आकोदड़ा में आराजी नंबर 563 रकबा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि के चुन्नीलाल जी संयुक्त खातेदार थे, जिनके द्वारा करीब 70 वर्ष पूर्व प्रार्थी के पिता पृथ्वीराज के पक्ष में अपने हक हिस्से की भूमि अर्थात 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया। तब से उक्त भूमि पर पृथ्वीराज जी एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है एवं भूमि विक्रय करने की धमकी दे रहे हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चुन्नीलाल जी द्वारा प्रार्थीगण के पिता पृथ्वीराज को कभी कोई भूमि विक्रय नहीं की गयी है, न ही कब्जा सिपुर्द किया गया। आज भी कब्जा विपक्षीगण का चला आ रहा है तथा विरासत से भूमि उनके नाम दर्ज हुई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 05–02–2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अपीलान्ट के पिता द्वारा विधिवत रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वाधिकारी चुन्नीलाल से भूमि क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है एवं उनका निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं कब्जे बाबत् फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किये हैं, जिन पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर

नहीं किया गया है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना है कि राजस्व रेकार्ड से विवादित भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि अपने पिता द्वारा क्रय करना बताया गया है एवं इस बाबत् उनके द्वारा एक लिखतम प्रस्तुत की गयी है, जिसमें न तो आराजी नंबर का उल्लेख है एवं न ही पड़ोस अंकित है, तद्नुसार उक्त लिखतम विवादित भूमि बाबत ही हो ऐसा प्रकट नहीं होता है। हमारे द्वारा भी उक्त लिखतम का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त लिखतम मात्र फोटो प्रति है, जिसमें न हो आराजी नंबरों का अंकन है, न ही भूमि के पड़ोस अंकित है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–02–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर